भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 793
जिसका उत्तर बुधवार,07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

मामलों के समाधान में लिया गया समय

793. श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के मामलों कोनिपटाने हेतु उच्च न्यायालय औसतन चार वर्षों का समय ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में अधीनस्थ न्यायालयों में स्थिति अभी भी काफी खराब है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई प्रस्ताव उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों में मामलों के निपटान हेतु एक समय सीमा निर्धरित करने का है; और (ङ) यदि हां, तो इस संबंध् में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मुद्दे के समाधन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क)से (ग) :न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी मामले के निपटान के लिए लिया गया समय,भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और प्रक्रिया के लागू नियमों की उपलब्धता के अतिरिक्त बहुत से कारकों जैसे मामले का प्रवर्ग (सिविल या दांडिक), अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमें लड़ने वाले व्यक्तियोंके सहयोगपर निर्भर करता है।

(घ) से (ङ):संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों केत्वरित निपटान के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं।इन उपायों में से एक उपाय, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से जिलों में न्यायिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण भी है, जिनमें वर्ष 1993-94 से कुल 6,020 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 2,575 करोड़ रूपए (42.77 %) अप्रैल, 2014 से जारी किए गए हैं। आज तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 17,798 न्यायालय हॉल तथा 13,759 निवास स्थान उपलब्ध कराये गए हैं। इनमें से, वर्ष 2014 से आज की तारीख तक 1,980 न्यायालय हॉल तथा 3,548 निवास स्थान सन्निर्मित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2,966 न्यायालय हॉल तथा 1,692 निवास स्थान निर्माणाधीन हैं। केन्द्रीय सरकार ने, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीसीएस) का 12 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अर्थात् 01.04.2017 से

31.03.2020 से आगे जारी रहने का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 3,320 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत आएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक आरम्भ की गई ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना के चरण 1 के अधीन, 14,249 न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के कुल लक्ष्य के मुकाबले में, 13,672 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत हार्डवेयर, एलएएन और सॉफ्टवेयर का संस्थापन भी आता है। कम्प्यूटरीकरण ने न्यायालयों को मामले की प्रास्थिति तथा आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करने में समर्थ बनाया है। मामलों की प्रास्थिति तथा निर्णयों की प्रतियां भी सम्बन्धित जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों, जिनका कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई हैं। चरण-1 के लिए 935.00 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे, जिनमें से 639.41 करोड़ रूपए उपयोग किए गए थे।

ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना के चरण-2 में (जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक), 1,670 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है और अभी तक 921.75 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। ई-सेवाओं, जैसे-सतर्कता सूचियों, मामलें की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों, निर्णयों आदि की सुविधाएं उच्चतम न्यायालय की ई-समिति तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालयों की कम्प्यूटर समितियों के पर्यवेक्षणाधीन प्रदान की जा रही हैं। आज तक कुल 16,089 न्यायालयों को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कम्प्यूटरीकृत किया गया है। 2015-17 की अवधि के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा भी 488 न्यायालय परिसरों और 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच प्रचालित की गई है। इस परियोजना के अधीन विकसित राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) देश में कम्प्यूटरीकृत जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सिविल और दांडिक मामलों, जिनके अन्तर्गत लम्बित मामले भी हैं, के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।

एक अन्य पहल, जिसको न्याय तक पहुंच का सुधार करने के फोकस के साथ आरम्भ किया गया है, वह 20 अप्रैल, 2017 को आरम्भ की गई टैली लॉ स्कीम ही है, जो सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से समाज के निर्धन वर्गों को अग्रसक्रियता के साथ विधिक सलाह प्रदान करने का एक प्रयास है। यह पहल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) में नियुक्त वकीलों के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से विधिक सलाह के परिदान को सुकर बनाती है। इस स्कीम के अधीन, पराविधिक स्वयंसेवी (पीएलवी) सामान्य सेवा केन्द्रों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से सम्भाव्य मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को वकीलों के साथ जोड़ते हैं, जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। स्कीम को 11 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सिक्किम) की 1800 ग्राम पंचायतों में आरम्भ किया गया है । इस स्कीम के अधीन कुल 12,218 मामले पराविधिक स्वयंसेवी (पीएलवी) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं और 9,094 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की गई है। सरकार ने अप्रैल, 2017 में स्वैच्छिक विधिक सेवाओं के लिए एक स्कीम भी आरम्भ की है जिसमें हितबद्ध वकील और मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति वेबसाइट (www.doj.gov.in) पर ऐसी स्वैच्छिक विधिक सेवाएं, जिनकी अपेक्षा की जाए, प्रदान करने के लिए और उनका लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रीकृत करा सकते हैं। अभी तक, 202 वकीलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है और 298 से अधिक मामले स्वैच्छिक सहायता के लिए समनुदेशित किए गए हैं। सरकार ने,न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक लम्बित मामलों को कम करने के लिए, हाल ही में न्यायमित्र स्कीम का शुभारम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 16 राज्यों के 227 चयनित जिले आते हैं। इस स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को दस वर्ष से अधिक के लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए 'न्यायमित्र' के रूप में लगाया जाता है और पदाभिहीत किया जाता है। पहले चरण में 15 न्यायमित्रों को लगाया गया है।

****